भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1042

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों के लिए सेना के समान विशेष वेतन

1042. श्री ए.यू.सिंह दिव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या कितनी है और उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है

(ख) क्या मंत्रालय ने अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों के लिए सेना के समान "विशेष वेतन" का प्रस्ताव सातवें वेतन आयोग को दिया है; तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के "विशेष वेतन" के प्रयोजन से केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा राज्य सैन्य पुलिस बलों को भी अर्द्ध सैनिक कार्मिकों के समान समझा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप राजकोष पर आने वाली अतिरिक्त लागत का ब्योरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीएपीएफ और एआर की स्वीकृत पद संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

बल	**अधिकृत नफरी**			
	अधिकारी	**अधिनस्थ अधिकारी**	**अन्य रैंक**	**कुल**
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	4,997	39,123	259,415	**303,535**
सीमा सुरक्षा बल	5,034	34,341	212,684	**252,059**
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1,506	24,789	115,047	**141,342**
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2,095	12,680	74,663	**89,438**
सशस्त्र सीमा बल	2,061	12,044	77,129	**91,234**
असम राइफल्स	1,269	4,603	60,540	**66,412**
कुल	**16,962**	**127,580**	**799,478**	**944,020**

(ख) से (घ): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को सेना कार्मिकों के बराबर अर्ध सैनिक सेवा वेतन (पीएमएसपी) मंजूर करने के संबंध में एक प्रस्ताव, गृह मंत्रालय के दिनांक 5.11.2014 के का.ज्ञा. के तहत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेजा गया है। सैन्य सेवा वेतन की दरों पर आधारित अनुरोध किए गए अर्ध सैनिक सेवा वेतन की दर अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए 2000/- रु. प्रति माह और उप पुलिस महानिरीक्षक रैंक तक के अधिकारियों के लिए 6000/- रु. प्रतिमाह है। राज्य सशस्त्र पुलिस बल राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। अत:,वर्तमान प्रस्ताव में राज्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल नहीं हैं।

*****